राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र 64/2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
निरमा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सिणोद तहसील व जिला नागौर		1 मलाराम पुत्र पाबूराम जाति जाट निवासी सिणोद तहसील व जिला नागौर 2 श्यामसुन्दर पुत्र गुलाराम 3 किशोरराम पुत्र गुलाराम 4 सहदेवराम पुत्र गुलाराम 5 कैलाशराम पुत्र गुमानराम 6 रामपाल पुत्र गुनारामराम जातियान जाट निवासीगण सिणोद तहसील व जिला नागौर 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

आवेदन पत्र अधीन धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 10.06.2016

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि प्रार्थीया ने दिनांक 02.12.2005 को जरिये विक्रय पत्र खसरा नम्बर 100/1 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी 3 मोजा सिणोद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुम्हारी तहसील व जिला नागौर सोहनी देवी पत्नि मदनलाल जाट निवासी सिणोद से क्रय किया गया क्रय की तिथी से आज दिन तक लगातार निर्बाध रुप से निरन्तर रुप से निरन्तर कब्जा काश्त खातेदारी उपयोग उपभोग बतौर स्वामी प्रार्थीया का ही रहता चला आया है। जिस दिन प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर 100/1 क्रय किया गया उस दिन उपरोक्त खेत की चारो दिशाओं की मेड/ सींव बनी हुई थी उसी दिन से प्रार्थीया का उपरोक्त कब्जा काश्त खातेदारी के खेत पर निर्बाध एवं शांति पूर्वक रुप से कब्जा काश्त बतौर स्वामी चला आ रहा है।

2 यह है कि उक्त खसरे के चिपते ही पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 मलाराम का खेत खसरा नम्बर 100 आया हुआ है चूकि यहां यह बताना प्रासंगिक रहेगा कि उक्त खसरा नम्बर 100 का कब्जा काश्त व बंट अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के पास में है व दक्षिण दिशा में प्रार्थीया के खेत के चिपते ही खसरा नम्बर 98 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के आया हुआ है।

3 यह है कि गत एक महीने से अप्रार्थीगण प्रार्थीया के कब्जे काश्त के खेत के मेडबंदी को तोडने की धमकियां दे रहे थे एवं नाजायज रुप से अतिक्रमण करने पर उतारु हो गये थे तब प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि सहमति से तहसीलदार जी से निवेदन करते है कि अपने खेतो का सीमा ज्ञान करवा ले एवं उक्त सीमा ज्ञान के आधार पर अपनी अपनी जगह पर स्थाई मुटाम करवाकर शांतिपूर्वक काश्त करते रहे । परन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया की बात का अनसुनी कर दी।

4 यह है कि अभी पिछले दिनों अप्रार्थी संख्या 1,5,6,ने रात्रि को प्रार्थीया के खेत की मेड तोडकर नाजायज रुप से पत्थर डालकर प्रार्थीया के कब्जे काश्त की जमीन पर कच्ची दीवार खडी कर दी एवं अप्रार्थी संख्या 3,4,5 ने भी प्रार्थीया के खेत की मेड को तोडकर जमीन पर नाजायज रुप से अतिक्रमण कर पत्थर डाल दिये। जिसका ओलबा प्रार्थीया द्वारा देने पर अप्रार्थीगण ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेगे आप से जो हो कर ले। जिससे प्रार्थीया के समक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान कार्यवाही करने के अतिरिक्त अन्य कोई वेधानिक उपचार उपलब्ध नही होने से वर्तमान प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

समक्ष पेश किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीया की जमीन का मौके पर नाप चोप करवाकर स्थाई मुटाम स्थापित किया जाना उचित एव न्याय संगत है।

यह है कि राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नागौर आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे अप्रार्थी संख्या 7 संयोजित किया जाकर वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। मामला **"न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र सिणोद"** में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित पक्षकारान को मजमे आम में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामले में किसी भी पक्षकारान के खातेदारी अधिकारो का हनन नही होता है। वादग्रस्त खेत का नाप चौप कर पत्थरगढी करवाये जाने का है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। खेत खसरा नम्बर 100/1 रकबा 21 बीघा मौजा सिणोद एवं खेत खसरा नम्बर 100 एवं खसरा नम्बर 98 का मुस्तकिल पोइन्ट से नाप चौप कर प्रार्थीया के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 100/1 रकबा 21 बीघा पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार नागौर को दिये जाते है। तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नागौर

आदेश दिनांक 10.06.2016 को मेरे द्वारा मजमे अटल सेवा केन्द्र सिणोद में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर